

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1010

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बजट

1010 श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दस वर्षों के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्मित सबसे बड़े और न्यूनतम बजट वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मंत्रालय सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निकट भविष्य में अपने बजट आबंटन में कई गुणा वृद्धि किए जाने की आशा कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) दीर्घावधि में पहुंच मार्गों को राजमार्गों तक ले जाने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

विगत दस वर्षों के दौरान निर्मित रारा की लंबाई के साथ-साथ रारा के विकास और रखरखाव के लिए मंत्रालय के बजटीय आवंटन का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में; लंबाई किमी में	
	बजटीय आवंटन	निर्मित रारा लंबाई
2013-14	24,775	4,260
2014-15	27,318	4,410
2015-16	43,667	6,061
2016-17	44,222	8,231
2017-18	53,182	9,829
2018-19	70,742	10,855
2019-20	74,767	10,237
2020-21	94,257	13,327
2021-22	1,23,537	10,457
2022-23	2,08,226	10,331

मंत्रालय का बजटीय आवंटन 2013-14 में लगभग 31,130 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में लगभग 2,76,351 करोड़ रुपये हो गया है। 2024-25 के लिए बजटीय आवंटन 2,78,000 करोड़ रुपये है।

देश में रारा नेटवर्क की लंबाई मार्च, 2014 में 91,287 किमी से 1.6 गुना बढ़कर वर्तमान में लगभग 1,46,145 किमी हो गई है। अप्रैल, 2014 से बढ़े हुए बजटीय आवंटन के कारण सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। 4 लेन और उससे अधिक के रारा नेटवर्क की लंबाई मार्च, 2014 में 18,371 किमी से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर अब 46,720 किमी हो गई है। इसके अलावा कुल रारा नेटवर्क में 2 लेन से कम वाले रारा की हिस्सेदारी 30% से घटकर 10% हो गई है, जिससे 2 लेन से कम वाले रारा की लंबाई लगभग आधी होकर 27,517 किमी से घटकर 14,350 किमी हो गई है।

मंत्रालय ने देश की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए हाई स्पीड पहुंच नियंत्रित रारा के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर जहां भूगर्भीय, पर्यावरणीय कारकों आदि को ध्यान में रखते हुए विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है, वहां यातायात आवश्यकता के अनुसार सभी रारा को बेहतर बनाने के लिए कम से कम दो लेन को पेव्ड शोल्डर मानकों के साथ बनाए जाने की नीति भी अपनाई है।
